कृषक जीवन ज्योति योजना

- योजना के अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को तीन अश्वशक्ति तक के कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट दी जा रही है।

- योजना में फ्लेट रेट विकल्प चुनने वाले किसानों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100 रूपए प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

- योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

- योजना में कृषकों को 5 अश्व शक्ति द्वितीय पंप के लिए 200 रूपए प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए 200 रूपए प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है।

- योजना में शासन द्वारा चार वर्षों में किसानों को 10,400 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। वर्तमान में 6.26 लाख पंप उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है।